संख्याः42 /2016/899 /सीस-1-2016-5(7)/2016

प्रेषक,

मुहम्मद अख़लाक़ खाँ,
वशेष स चव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-1 लखनऊः दिनाँक 19 दिसम्बर, 2016

वषयः बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ के उच्चीकरण के अन्तर्गत एच०टी०/एल०टी० पैनल 250के.वी.ए. ट्रांसफार्मर एवं डी०जी० सेट स्था पत कये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त वषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है क शासनादेश संख्या- 28/2016/265 /सीस-1-2016-5(7)/2016, दिनांक 01 जून, **2016** द्वारा बस स्टेशन कैसरबाग लखनऊ को मॉडल बस स्टेशन के रूप में वक सत कये जाने हेतु कार्य की लागत रू० 944.88 लाख (रू० नौ करोड़ चौवा लस लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा वत्तीय वर्ष-2016-17 में अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-7055-सड़क परिवहन के लए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण में प्रा वधानित धनरा श रू० 50.00 करोड़ में से उक्त कार्य की लागत के 50 प्रतिशत के समतुल्य रू० 470.00 लाख (रू० चार करोड़ सत्तर लाख मात्र) की धनरा श ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है। उक्त के पश्चात शासनादेश संख्या-33/2016/787/सीस-1-2016-5(7)/2016, दिनांक 23 सतम्बर, **2016** द्वारा प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु द् वतीय एवं अंतिम कश्त की अवशेष रू० 474.88 लाख (रू० चार करोड़ चौहत्तर लाख अठ्ठासी हजार मात्र) की धनरा श ऋण के रूप में स्वीकृत की गयी है। उपरोक्त कार्य हेतु उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम ल० लखनऊ को कार्यदायी संस्था ना मत कया गया है।

2- अब प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र संख्या-551बी/डीए/प०/16 दिनांक 20.10.2016 द्वारा यह अवगत कराया गया है क उपरोक्त वत्तीय स्वीकृति में एच०टी०/एल०टी० पैनल एवं डी०जी० सेट, 250 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर, हाइ डल वद्युत लाइन से ट्रासफार्मर तक 11 के०वी० मेन के वल वद्युत अ र्थंग आदि कार्य सम्मि लत नहीं है। इनके अभाव में प्रश्नगत परियोजना पूर्ण करना संभव नहीं है। अतः बस स्टेशन कैसरबाग के उच्चीकरण के अन्तर्गत एच०टी०/एल०टी० पैनल एवं डी०जी० सेट, 250 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर की स्थापना हेतु कार्यदायी संस्था/उ०प्र० राजकीय निर्माण निगम ल० लखनऊ द्वारा प्रस्तुत रू० 97.94 लाख की लागत के आगणन की स्वीकृति का प्रस्ताव परिवहन निगम मुख्यालय के संद र्भत पत्र दिनांक 20.10.2016 द्वारा उपलब्ध कराया गया है।

3- प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ के पत्र दिनांक 20.10.2016 में उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव पर सम्यक वचारोंपरान्त वत्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-43 के लेखाशीर्ष-7055-सड़क परिवहन के लए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण में प्रा वधानित धनरा श रू० 50.00 करोड़ में से धनरा श

http://sansanadesh.up.nic.in

रू० 97.94 लाख (रू० सत्तानवे लाख चौरानबे हजार मात्र) ऋण के रूप में स्वीकृत कये जाने की निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) ऋण की वापसी व्याज सहित 10 वर्षो की अव ध में की जायेगी।

(2) व्याज की दर 15 प्रतिशत वा र्षक होगी तथा निय मत भुगतान कये जाने की दशा में 3.5 प्रतिशत की छूट अनुमन्य होगी। इस प्रकार निय मत भुगतान की दशा में व्याज की प्रभावी दर 11.50 प्रतिशत होगी।

(3) मूलधन के प्रतिदान की पहली कस्त ऋण आहरण की ति थ से ठीक एक वर्ष बाद देय होगी। मूलधन का प्रतिदान 10 समान वा र्षक कस्तों में कया जायेगा।

(4) उपर्युक्त ब्याज दर अनन्तिम है। वर्ष 2017-18 के लए अंतिम ब्याज दर के आदेश निर्गत होने पर ब्याज दर स्वत: संशो धत मानी जायेगी।

4- उक्त कार्य के लए आंक लत की गयी लागत रू0 97.94 लाख (रूपये सत्तानवे लाख चौरान्बे हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वत्तीय स्वीकृति तथा वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी0-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में निहित दिशा निर्देशों के क्रम में चालू वत्तीय वर्ष 2016-17 में धनरा श रू० 97.94 लाख (रूपये सत्तानवे लाख चौरान्बे हजार मात्र) निम्न ल खत शर्तो के अधीन अवमुक्त कये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) उ0प्र0 राज्य सडक परिवहन निगम द्वारा उक्त कार्यदायी संस्था से अनुश्रवण करके प्रश्नगत कार्य कराया जाना सुनिश्चित कया जायेगा ।

(2) उक्त आहरित धनरा श पी0एल0ए0/डपोजिट खाते में जमा नहीं की जाएगी।

(3) कार्य का वस्तृत आगणन का गठन करते हुए सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। तकनीकी स्वीकृति की एक प्रमा णत प्रति तदनुसार शासन को भेजी जाय।

(4) परियोजना निर्माण में वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर जारी मतव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित कया जाय।

(5) निर्माण के समय कार्य की व शष्टियां, मानक, गुणवत्ता एवं समयबद्दता अवश्य सुनिश्चित कये जाने का दायित्व उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम ल0 लखनऊ का होगा।

(6) परियोजना का निर्माण कार्य निर्धारित समयाव ध में अवश्य पूर्ण कर लया जायेगा।

(7) प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व मान चत्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय वकास प्रा धकरण/सक्षम आथॉरिटी से स्वीकृत कराया जाय।

(8) प्रशासकीय वभाग द्वारा नियमनुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनाप त्तयॉं, पुरातत्व वभाग एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कया जायेगा।

(9) प्रायोजनान्तर्गत अन्तर्गत एच०टी०/एल०टी० पैनल की स्थापना, 250 के०वी०ए० ट्रांसफार्मर एवं डी०जी० सेट की आपूर्ति कार्य प्रस्ता वत कये गये है। इस संबंध में क्रयान्वयन से पूर्व कार्यदायी संस्था इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओं से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरें प्राप्त करे। चूँ क यह प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्य हैं। निर्माण के समय इनका क्रय एवं स्थापना सुसंगत वत्तीय नियमों के आधार पर कया जाय।

(10) स्वीकृत की जा रही इस धनरा श का मा सक ववरण प्रपत्र-बी0एम0-13 में प्रतिमाह वत्त व्यय नियन्त्रण अनुभाग-9 एवं परिवहन अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराया जाएगा। उक्त स्वीकृत धनरा श को व्यय करने से पूर्व वत्त वभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 22.03.2016 में दिए गये निर्देशों तथा वत्त वभाग द्वारा समय-समय पर इस सम्बन्ध में जारी कये गये अन्य निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित कया जाएगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(11) उक्त व्यय के सम्बन्ध में शासन को उपयो गता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व परिवहन आयुक्त का होगा। उक्त धनरा श का व्यय सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त कया जाएगा।

(12) योजना में अनुमोदित लागत में ही एक वर्ष की समयाव ध में पूर्ण कराया जाय। उक्त धनरा श कार्यदायी संस्था को हस्तगत कराने के पश्चात यदि लागत में वृद् ध होती है तो उसे कार्यदायी संस्था अपने श्रोतो से वहन करेगी। शासन द्वारा उक्त बढ़ी हुई धनरा श उपलब्ध नहीं कराई जाएगी।

5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वत्तीय वर्ष-2016-17 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-43 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष के लेखाशीर्ष 7055-सड़क परिवहन के लए कर्ज 190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज-03- उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम को कर्ज-30-निवेश/ऋण के नामें डाला जाएगा।

6- यह आदेश वत्त वभाग के अशा0संख्या-ई-9-422/दस-2016 दिनांक 19 दिसम्बर ,2016 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी कए जा रहे है।

भवदीय,

ह०

(मुहम्मद अख़लाक़ खॉं)

वशेष स चव।

संख्याः 42/2016/899/(1)/तीस-1-2016 तददिनांक।

प्रति ल प निम्न ल खत को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रे षत।

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द् वतीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषा धकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सड़क परिवहन निगम, लखनऊ।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम ल0 लखनऊ।
6. वत्त नियन्त्रक, परिवहन आयुक्त, कार्यालय लखनऊ।
7. वत्त नियन्त्रक, उ0प्र0राज्य सड़क परिवहन निगम मुख्यालय, लखनऊ।
8. वत्त नियन्त्रक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम ल0 लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4 ।
10. वत्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-9/परिवहन अनुभाग-3।
11. निदेशक, वत्तीय एवं सांख्यकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ।
12. गाई फाइल।

आज्ञा से,

ह०

(सन्त लाल)

अनु स चव।

http://shasanadesh.up.nic.in